न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 75/2016 दायरा दिनांक : 18.04.2016

उनवान

राजाराम आत्मज नन्दलाल, आयु 65 साल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– कुतुबुद्दीन आत्मज नईमुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी कनवास, जिला कोटा (राजस्थान) मृतक जरिये कायम मुकामान –
1/1– अंजुम पत्नी कुतुबुद्दीन, जाति मुसलमान
1/2– तस्मिया पुत्री कुतुबुद्दीन, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण कनवास, जिला कोटा (राज0)
2– प्रभूलाल आत्मज नन्दा, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
2/1– कालूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/2– लोकेश आत्मज प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/3– भरोसीबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/4– संतरीबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/5– भंवरीबाई पत्नी प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 व 1/2 तथा शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 09.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 61/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड में

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जमाबंदी संख्या नयी 36 पुरानी 43 पर खसरा नम्बर 76 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 858 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 917 रकबा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम चोरखेड़ी तहसील पचपहाड की खसरा नम्बर 917/2 रकबा 11 बिस्वा आराजी स्थित है । उक्त आराजी कुतुबुद्दीन आत्मज नईमुद्दीन ने दिनांक 11.06.1973 को रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा अपीलांट राजाराम को बेच दी थी एवं उस समय इस आराजी का खसरा नम्बर 813 था और रकबा भी 16 बिस्वा था जो कालान्तर में 917/2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बना व इसका रकबा 11 बिस्वा है जो आज के प्रचलित रेकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 917/2 रकबा 11 बिस्वा पर राजाराम अपीलांट का कब्जा तब से आज तक निरन्तर चला आ रहा है किन्तु दिनांक 11.06.1973 को उक्त कुतुबुद्दीन के अतिरिक्त अन्य लोग भी खातेदारान थे इस कारण रजिस्ट्री पर यह नोट लगाया गया कि बंटवारे की डिक्री होने पर ही कुतुबुद्दीन बेच सकेगा। इसके विरूद्ध राजाराम ने कुतुबुद्दीन व अन्य के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही की जो आज भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें राजाराम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करने की प्रार्थना भी है। इसी घटनाक्रम में इन सब कार्यवाहियों के चलते हुए कुतुबुद्दीन आत्मज नईमुद्दीन ने उक्त खसरा नम्बर 917/2 रकबा 11 बिस्वा का नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम करवा लिया एवं खसरा नम्बर 917/2 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम चोरखेड़ी में जमाबंदी संख्या 47/38 में कुतुबुद्दीन आत्मज नईमुद्दीन अकेला खातेदार हो गया।

इसी सन्दर्भ में प्रभूलाल आत्मज नन्दा, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम आवंलीकलां ने उक्त कुतुबुद्दीन से साजिश व षडयंत्र करके एक दावा इस प्रकार का किया जिसमें प्रभूलाल ने धारा 88 टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तीन नम्बरों का खातेदार घोषित करने का दावा उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के समक्ष पेश किया, जो प्रकरण संख्या 61/2007 है व जिसमें खसरा नम्बर 76 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 858 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 917 रकबा 15 बिस्वा के सम्बन्ध में सहायता चाही। इसी सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रभूलाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खसरा नम्बर 76 एवं 763 दिनांक 11.06.1973 को ही उक्त कुतुबुद्दीन से खरीद कर लिया था किन्तु न्यायालय को गुमराह करने की नियत से इन दोनों नम्बरान के साथ अपीलांट के द्वारा खरीदे गये व कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 917/2 को भी दुर्भावना से शामिल कर लिया व छल कपट कर एक तथाकथित राजीनामा पेश कर उक्त नम्बरान का प्रभूलाल आत्मज नन्दा को उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी से खातेदार घोषित करवा लिया जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने दिनांक 19.04.2010 को दिया व उसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील अपीलांट राजाराम द्वारा प्रस्तत की गई। क्योंकि राजाराम अपीलांट को इस पूरी कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि कुतुबुद्दीन व प्रभूलाल दोनों खसरा नं. 917/2 राजाराम के हक में हुए विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1973 व राजाराम के निरन्तर कब्जे काश्त होने व आज तक कब्जा होने की पूरी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जानकारी थी व आज भी है। किन्तु दोनों ने षडयंत्र व साजिश करके व जमीन हड़पने की नियत से यह सारा कुचक्र रच कर आलोच्य आदेश प्राप्त किया जिसकी अपील के लिए राजाराम को अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत अपील पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 निरस्त की जाने की कृपा करें।

प्रभूलाल ने उक्त निर्णय की इजराय की व प्रार्थी राजाराम को इसका पता लगने पर उसने तहसीलदार के समक्ष एतराज किया तो उसे बताया गया कि खसरा नम्बर 917/2 के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है । प्रार्थी अपीलांट कम पढ़ा लिखा काश्तकार है व उसने यह मान लिया कि उसका नम्बर 917/2 के बारे में कोई आदेश नहीं है तथा चूंकि उसका कब्जा काश्त भी निरन्तर मौके पर था व आज भी है इस कारण वह कुतुबुद्दीन व अन्य के विरूद्ध जो कार्यवाही चल रही थी उस सम्बन्ध में ही प्रकरण को लड़ता रहा, जो कार्यवाही आज भी राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

लगभग 6 साल बाद प्रभूलाल की मृत्यु हो जाने के उपरान्त गुपचुप तरीके से प्रभूलाल के वारिसों ने आलोच्य निर्णय व डिक्री के आधार पर पुनः इजराय प्रस्तुत कर दिनांक 12.03.2016 को उक्त आराजी अपने नाम करा ली जो कुल कार्यवाही अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांट को बिना सूचना दिये की गई है। इस कारण राजाराम एक व्यथित पक्षकार है व अपील करने का प्रार्थना पत्र देकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 12.03.2016 की जानकारी होने पर खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा के खातेदार रेस्पोडेंट्स कालू, लोकेश आदि के नाम कर दी गई है। इस नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उसने सभी निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 30.03.2016 एवं 01.04.2016 को उपलब्ध हुई, जिससे सारे षडयंत्र का पता चला, इस कारण तारीख ज्ञान से यह अपील अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में विधिवत प्रस्तुत है।

आलोच्य निर्णय व डिक्री कपटपूर्वक व छलपूर्वक जानबूझकर तथ्य व रेकार्ड को छिपाकर प्राप्त की गई है । यह कि स्वर्गीय प्रभूलाल आत्मज नन्दा व उसके मौजूदा रेस्पोडेंट वारिसान का एक क्षण के लिए भी खसरा नम्बर 917/2 रकबा 11 बिस्वा पर कब्जा काश्त नहीं रहा व सारे फर्जी कथन व मौखिक कपटपूर्ण साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर व डिक्री देकर कानूनन भूल की है।

माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय तथा रेवेन्यु बोर्ड द्वारा अपने प्रतिपादित निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मात्र कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब निर्णय व कानून की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है।

खसरा नम्बर 76 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 858 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा प्रभूलाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पूर्व में ही खरीद लिया था। इस तथ्य को

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जानबूझ कर छिपाया गया क्योंकि इंतकाल नम्बर 920/12 द्वारा उक्त दोनों नम्बर प्रभूलाल की खातेदारी में दर्ज हो गये थे व इसी नामान्तरकरण में राजाराम की भूमि खसरा नम्बर 917/2 रकबा 11 बिस्वा के बारे में भी आदेश दिया था। इस प्रकार रेकार्ड को झुठला कर मौजूदा निर्णय में भी इन दोनों नम्बरान का उल्लेख किया है जो गलत है। इन नम्बरान का नामान्तरकरण तो प्रभूलाल के नाम दिनांक 22.10.2010 को ही हो गया।

मौजूदा निर्णय व डिक्री अपीलांट राजाराम के लिए त्रासदायक व पीडादायक व उसके द्वारा खरीदी गई आराजी से वंचित करने की साजिश है। इस कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.03.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी व धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में मूल वाद नं. 61/2007 प्रभूलाल बनाम कुतुबुद्दीन के शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 19.04.2010 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिसमें राजाराम अपीलांट पक्षकार नहीं था, किन्तु उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा खरीदे हुए व कब्जे के खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा के बारे में भी डिक्री दी गई है जिससे प्रार्थी व्यथित है व इस कारण वह उक्त प्रकरण में निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील करना चाहता है। प्रार्थी को अपील में अपीलांट के रूप में पेश करने की अनुमति न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि भूमि पर आज भी प्रार्थी का कब्जा काश्त है जो निरन्तर पिछले 40 वर्षों से भी अधिक का है व उसके पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी व धारा 151 जा. दी. प्रार्थना पत्र न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता व धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। जो राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी व धारा 151 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2010 के विरूद्ध धारा 223 आर.टी.एक्ट के तहत पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 2 प्रभू लाल के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया, जिसमें रेस्पोडेंट कुतुबुद्दीन व सरकार को प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया और मुख्य रूप से तथ्य अंकित किया कि ग्राम चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड, में खसरा नम्बर 76 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 858 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 917 रकबा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। खसरा नं. 71 व 763 की आराजी दिनांक 11.06.1973 को प्रतिवादी क्रम 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त किया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं. 76, खसरा नं. 858 एवं 917 की कुल 3 किता की 11 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तीन तनकियात कायम की। इसी दौराने कुतुबुद्दीन व प्रभूलाल के बीच राजीनामा हो गया और राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा डिक्री करते हुए हाल खसरा नं. 76 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 858/2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा कुल 11 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार घोषित कर दिया। अपील में खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा का विवाद है। रेस्पोडेंट नं. 2 प्रभूलाल ने अपने दावे में केवल खसरा नं. 71 व 763 कुल 14 बीघा 1 बिस्वा आराजी 7000/– रूपये में दिनांक 11.06. 1973 को क्रय करना बताकर वाद प्रस्तुत किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा आराजी राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री कर दिया। जबकि 917/2 की आराजी के सैटलमेंट के पूर्व के नम्बर 813 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा था जिसमें से 16 बिस्वा आराजी अपीलांट राजाराम के द्वारा दिनांक 11.06.1973 को रेस्पोडेंट क्रम 1 कुतुबुद्दीन से अन्य आराजी के साथ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। परन्तु रेस्पोडेंट कुतुबुद्दीन व सहखातेदार भाई हुसैन के मध्य बंटवारे का वाद चल रहा था इसलिए अपीलांट के विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नं. 813 वर्तमान खसरा नं. 917 की आराजी खाते दर्ज नहीं की गई। इसी दौरान कुतुबुद्दीन व हुसैन के बीच बंटवारे का वाद 1994 में डिक्री हो गया और इजराय की पालना में नामान्तरकरण सं. 565 दिनांक 05.05.1995 के जरिये खसरा नं. 917 रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी हुसैन के एवं खसरा नं. 917 की 11 बिस्वा आराजी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कुतुबुद्दीन के खाते बंटवारे में दर्ज की गई। और [illegible] रकार्ड में खसरा नं. 917/1 हुसैन के खाते में दर्ज रहा और खसरा नं. 917/2 कुतुबुद्दीन के खाते में दर्ज रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1973 बहक अपीलांट राजाराम, मिलान क्षेत्रफल व नामान्तरकरण नं. 565 दिनांक 05.05.1995 व नामान्तरकरण सं. 1250 दिनांक 12.03.2016 से पूर्णतया साबित है कि सैटलमेंट के पूर्व खसरा नं. 813 की शामलाती खाते की 1.12 बीघा आराजी में से 16 बिस्वा आराजी अपीलांट द्वारा कुतुबुद्दीन से क्रय की गई एवं कुतुबुद्दीन व हुसैन के बीच में बंटवारे के वाद के आधार पर 813 का हाल खसरा नं. 917 अर्थात् 917/1 की आराजी हुसैन के खाते दर्ज की गई एवं 917/2 की कुतुबुद्दीन के पृथक खाते दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन के पृथक खाते में आयी खसरा नं. 917/2 की 11 बिस्वा आराजी की सीमा तक अपीलांट के हक में कुतुबुद्दीन द्वारा किया गया विक्रय पत्र विधिक था। आर. आर.टी. 2015 (2) पेज 773

अपीलांट राजाराम को रेस्पोडेंट कुतुबुद्दीन के द्वारा सैटलमेंट के पूर्व खसरा नं. 813 की 16 बिस्वा आराजी का दिनांक 11.06.1973 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है एवं वाद बंटवारा हाल खसरा नं. 917/2 की 11 बिस्वा आराजी पर कुतुबुद्दीन का नाम दर्ज किया है। अपीलांट पंजीकृत क्रेता होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित होने से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है और न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी स्वीकार होने योग्य है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण की मेरिट एवं न्याय हित को देखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी., प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह प्रकरण में अपीलांट राजाराम को बहैसियत पक्षकार प्रतिवादी क्रम 3 बनाकर जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से प्रकरण का निस्तारण करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 773, 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 82 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताया व यथावत रखने हेतु कथन किया। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 19.04.2010 को पारित निर्णय एवं दावे का अवलोकन किया गया। उक्त दावे में प्रभूलाल आत्मज नन्दा वादी द्वारा पैरा सं. 4 में खसरा नं. 71 तथा खसरा नं. 763 का बेचान प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में होने का कथन किया गया है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पैरा सं. 6 में भी उक्त दो खसरा नम्बरान का रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा जिसका नये बीघा से रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा बना का ही वर्णन किया गया। अनुतोष में खसरा नं. 917 रकबा 11 बिस्वा भी जोड़ दिये गये।

वादी द्वारा दावा प्रतिवादी से जरिये रजिस्ट्री क्रय के आधार पर खातेदारी देने बाबत पेश किया गया।

प्रकरण में राजीनामा पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 76, खसरा नं. 858 एवं खसरा नं. 917/2 पर खातेदारी वादी के पक्ष में दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वादी द्वारा रजिस्ट्री के आधार पर प्राप्त कब्जे से खातेदारी प्राप्त करने हेतु पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा पेश होने पर दावे का तथा रजिस्ट्री का अवलोकन भी नहीं किया गया तथा राजीनामे में लिखित कथनों से खातेदारी की घोषणा कर दी गयी।

प्रभूलाल के पक्ष में दिनांक 11.06.1973 को कुतुबुद्दीन द्वारा किये गये बेचान का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि उसमें साबिक खसरा सं. 71 तथा 763 का बेचान किया गया है जिसके हाल नम्बर 76 तथा 858 बने। नामान्तरकरण सं. 1250 दिनांक 12.03.2016 से प्रकट होता है कि बेचान किये गये दोनों खसरा नम्बर 76 तथा 858/2 वादी प्रभूलाल के पूर्व में ही खाते दर्ज हो चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री से केवल 917/2 पर वादी प्रभूलाल का नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रभूलाल के शपथ पत्र का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि वह खसरा सं. 71 तथा 763 का बेचान अपने पक्ष में होना बताता है लेकिन अनुतोष के समय 917 रकबा 11 बिस्वा को भी शामिल कर लिया जाता है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी तथा प्रतिवादी द्वारा दुरभिसंधि कर राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादपत्र के अभिवचनों का अध्ययन किये बिना मात्र राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित कर दी जो विधि विरूद्ध निर्णय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के अभिवचनों से परे जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिसे खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजाराम आत्मज नन्दलाल, आयु 65 साल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)

बनाम

1– कुतुबुद्दीन आत्मज नईमुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी कनवास, जिला कोटा (राजस्थान) मृतक जरिये कायम मुकामान –
1/1– अंजुम पत्नी कुतुबुद्दीन, जाति मुसलमान
1/2– तस्मिया पुत्री कुतुबुद्दीन, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण कनवास, जिला कोटा (राज0)
2– प्रभूलाल आत्मज नन्दा, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
2/1– कालूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/2– लोकेश आत्मज प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/3– भरोसीबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/4– संतरीबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
2/5– भंवरीबाई पत्नी प्रभूलाल, जाति पाटीदार (कुल्मी), निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

.....अपीलान्ट्स

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 75/2016 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**

मु.द.नं0 61/दावा/2007 निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक – **19.04.2010**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11** माह **06** सन् **2024**

हाजरी **श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1/1 व 1/2 तथा शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 अपास्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **09** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)